

प्रेस नोट

पुलिस अधीक्षक कानपुर देहात के निर्देशन में दिनांक:- 05.11.2023 को जनपद में अपराधियों के विरुद्ध व अपराध नियन्त्रण हेतु चलाये जा रहे अभियान एवं जनपद में शान्ति

व्यवस्था कायम रखने हेतु की गयी कार्यवाही का विवरण:-

- थाना रनियां पुलिस द्वारा मु0अ0सं0-195/23 धारा 302/34 भादवि0 व 3/25 आर्म्स एक्ट से सम्बन्धित अभियुक्तगण 1.पुष्पेन्द्र सिंह पुत्र केशव सिंह निवासी ग्राम गुनौला थाना अछल्दा जनपद औरैया 2.रामचन्द्र शर्मा पुत्र स्व0 रामेश्वर दयाल निवासी गुरुगंवा थाना शिवली कानपुर देहात को गिरफ्तार कर विधिक कार्यवाही की गयी ।
- थाना रसूलाबाद पुलिस द्वारा अभियुक्त रवि पुत्र रामचन्द्र निवासी ग्राम बिरहुन थाना रसूलाबाद जनपद कानपुर देहात अभियुक्त के कब्जे से 20 अदद नाजायज क्वार्टर देशी शराब ट्यूविन टावर ब्राण्ड बरामद होने के सम्बन्ध में गिरफ्तार कर मु0अ0सं0-478/2023 धारा 60 आबकारी अधिनियम पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी ।
- थाना मंगलपुर पुलिस द्वारा अभियुक्त 1.दीपू सिंह पुत्र कृपाल सिंह थारू निवासी ग्राम भटेलिन पुरवा थाना मंगलपुर जनपद कानपुर देहात अभियुक्त के कब्जे से 10 लीटर देशी कच्ची शराब बरामद होने के सम्बन्ध में गिरफ्तार कर मु0अ0सं0-321/2023 धारा 60 आबकारी अधिनियम पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी ।
- जनपद मे शांति व्यवस्था कायम रखने हेतु जनपद पुलिस द्वारा 13 व्यक्तियों के विरुद्ध थानावार क्रमशः जिसमें थाना अकबरपुर पुलिस द्वारा 03 व्यक्तियों, थाना गजनेर पुलिस द्वारा 02 व्यक्तियों, थाना मंगलपुर पुलिस द्वारा 01 व्यक्ति, थाना डेरापुर पुलिस द्वारा 03 व्यक्तियों, थाना बरौर पुलिस द्वारा 02 व्यक्तियों, थाना शिवली पुलिस द्वारा 02 व्यक्तियों का धारा 151/107/116 द0प्र0सं0 के अन्तर्गत चालान किया ।